



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-23032026-271189  
CG-MP-E-23032026-271189

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2026/फाल्गुन 29, 1947

No. 1422]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2026/PHALGUNA 29, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट) भोपाल]

अधिसूचना

भोपाल, 18 मार्च 2026

**का.आ. 1487(अ).**—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम 1989 (संसोधित अधिनियम 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना संख्या-4626, दिनांक 17 अक्टूबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम मध्य रेलवे गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि को मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में समपार फाटक संख्या 291 के बदले रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी। और, उक्त अधिनियम की धारा 20(क) की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय समाचार पत्रों में से हिंदी भाषा के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 01/11/2025 को तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में दिनांक 01/11/2025 को प्रकाशित किया गया है। और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति का कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

रेल मंत्रालय, पश्चिम मध्य रेलवे (गति शक्ति यूनिट भोपाल) की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 2025 से केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संसोधित अधिनियम 2008) की उप-धारा 2 के खण्ड 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारीख 22 मई 2025 से अनुविभागीय अधिकारी गंजबासोदा जिला विदिशा को जिले में विशेष रेल परियोजना भोपाल – बीना खंड में रेलवे फाटक क्रमांक 291 के बदले ऊपरी पुल का निर्माण कार्य परियोजना के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20(ड) की उप-धारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कराने का विनिश्चय किया गया।

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में पूर्णतया निहित हो जाएगी।

### अनुसूची-1

मध्यप्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 291 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

ग्राम : बेहलोट		प.ह.न. 42	तहसील : गंज-बासोदा		जिला : विदिशा	
क्रम संख्या	भूमि का स्वामी	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा	भूमि-कृषि/पड़त/व्यपवर्तित	भूमि सिंचित/असिंचित
1	शोभा पत्नी धनराज शर्मा, भरतराज पुत्र धनराज शर्मा, राज राजेश्वर पुत्र धनराज शर्मा	152/1/5	0.217	0.014	पड़त	सिंचित
2	मालती पत्नी प्रेमपाल सिंह यादव	196/1/1/1/1	0.0810	0.021	पड़त	असिंचित
3	रेखा पत्नी प्रमोद कुमार द्विवेदी	197/1/1/1/1/1	0.313	0.040	पड़त	असिंचित
4	संजय कुमार पुत्र रामनारायण	197/1/3	0.679	0.040	पड़त	असिंचित
5	प्रमोद कुमार पुत्र ब्रजेन्द्र	197/1/7	0.679	0.084	व्यपवर्तित	असिंचित
6	कीर्ति पत्नी श्रीराम बबेले	197/1/4	0.209	0.073	पड़त	असिंचित
7	उमादेवी पत्नी गोविन्द नायक	197/1/2/1	0.1990	0.039	पड़त	असिंचित
8	उमादेवी पत्नी गोविन्द नायक	197/1/2/2	0.0100	0.010	व्यपवर्तित	असिंचित
9	यशवंतसिंह पुत्र निहालसिंह रघुवंशी	197/2/1/2	0.209	0.040	व्यपवर्तित	असिंचित
कुल भूमि रकबा -			2.596 हे०	0.361 हे०		

### अनुसूची - 2

मध्य प्रदेश राज्य में समपार फाटक संख्या 291 के बदले रेल्वे ओवर ब्रिज निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ग्राम: परसोरा,		प.ह.न.42	तहसील : गंज-बासोदा		जिला : विदिशा	
क्रम संख्या	भूमि का स्वामी	खसरा संख्या	भूमि का कुल रकबा	भूमि का अर्जित रकबा	भूमि - कृषि/पड़त/व्यपवर्तित	भूमि सिंचित/असिंचित
1	संध्या पत्नी राजकुमार	43/2	0.941	0.053	कृषि	सिंचित
2	राजकुमार पुत्र बिहारी लाल	43/3	0.471	0.066	कृषि	सिंचित
3	संध्या पत्नी राजकुमार	48	0.544	0.063	कृषि	सिंचित
4	राहुल पुत्र दशरथ सिंह	51	1.652	0.031	कृषि	सिंचित
कुल भूमि रकबा -			3.608 हे०	0.213 हे०		

[फा. सं. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/291]

अनुपम अवस्थी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**[West Central Railway (Gati Shakti Unit) Bhopal]**

**NOTIFICATION**

Bhopal, the 18th March, 2026

**S.O. 1487(E).**—The Central Government, under sub-section (1) of Section 20(A) of the Railways Act, 1989 (Amended Act 2008) (hereinafter referred to as “the said Act”), hereby, announces its intention to acquire the land specified in the notification of the Ministry of Railways, Government of India (West Central Railway, Gati Shakti Unit, Bhopal), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Notification No.4626 dated 17th October 2025. The land specified in the said notification is required for the execution of the Railway Overbridge Construction Project in place of Level Crossing No. 291 in Vidisha District, Madhya Pradesh, and the announcement was made regarding the intention to acquire such land.

In accordance with sub-section (4) of Section 20(A) of the said Act, the notification was published in local newspapers, namely in the Hindi language newspaper Dainik Bhaskar on 01/11/2025 and in the English language newspaper Times of India on 01/11/2025. No objections have been received by the competent authority from any person, and the competent authority has submitted its report to the Central Government in accordance with sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act. In exercise of the powers conferred under Clause 7(A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Ministry of Railways, West Central Railway (Gati Shakti Unit, Bhopal), by its notification dated 6 February 2025, has, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, i.e., 22nd May 2025, authorized the Sub-Divisional Officer, Ganjbasoda, District Vidisha, as the competent authority for the execution of the Railway Over bridge Construction Project in place of Level Crossing No. 291 under the Special Railway Project Bhopal–Bina Section in the district.

Now, therefore, the Central Government on receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20(E) of the Railway Act, 1989, hereby declares that it has been decided to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the aforesaid purpose. And whereas, the Central Government hereby further declares, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act., that, on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE -1**

**"Brief description of land, with or without structures, to be acquired for the construction of a railway overbridge in place of level crossing number 291 in the State of Madhya Pradesh."**

Village- Behlot, Patwari Halka No.- 42		Tehsil: Ganj-Basoda			District: Vidisha	
Sl. No.	Name of Land Owner	Khasra Number	Total Area of Land (in he.)	Acquired Area of Land (in he.)	Land - (Agricultural/Fallow/ Diverted)	Land Irrigated /Non-Irrigated
1	Shobha, wife of Dhanraj Sharma, Bharatraj son of Dhanraj Sharma, Raj Rajeshwar son of Dhanraj Sharma	152/1/5	0.217	0.014	Fallow	irrigated
2	Malti, wife of Prempal Singh Yadav	196/1/1/1	0.081	0.021	Fallow	Non-irrigated
3	Rekha, wife of Pramod Kumar Dwivedi	197/1/1/1/1	0.313	0.040	Fallow	Non-irrigated
4	Sanjay Kumar, son of Ramnarayan	197/1/3	0.679	0.040	Fallow	Non-irrigated
5	Pramod Kumar, son of Brajendra	197/1/7	0.679	0.084	Diverted	Non-irrigated
6	Kirti, wife of Shriram Babele	197/1/4	0.209	0.073	Fallow	Non-irrigated
7	Umadevi, wife of Govind Nayak	197/1/2/1	0.199	0.039	Fallow	Non-irrigated

8	Umadevi, wife of Govind Nayak	197/1/2/2	0.010	0.010	<b>Diverted</b>	Non-irrigated
9	Yashwant singh, son of Nihal Singh Raghuvanshi	197/2/1/2	0.209	0.040	<b>Diverted</b>	Non-irrigated
<b>Total land area</b>			<b>2.596 He.</b>	<b>0.361 He.</b>		

## SCHEDULE-2

"Brief description of land, with or without structures, to be acquired for the construction of a railway overbridge in place of level crossing number 291 in the State of Madhya Pradesh."

Village – Parsora , Patwari Halka No.: 42 Tehsil: Ganj-Basoda District: Vidisha						
S. No.	Name of Land Owner	Khasra Number	Total Area of Land (in he.)	Acquired Area of Land (in he.)	Land - (Agricultural/Fallow/Diverted)	Land Irrigated /Non-Irrigated
1	Sandhya,wife of Rajkumar	43/2	0.941	0.053	<b>Agriculture</b>	Irrigated
2	Rajkumar,son of Bihari Lal	43/3	0.471	0.066	<b>Agriculture</b>	Irrigated
3	Sandhya, wife of Rajkumar	48	0.544	0.063	<b>Agriculture</b>	Irrigated
4	Rahul, son of Dashrath Singh	51	1.652	0.031	<b>Agriculture</b>	Irrigated
<b>Total land area</b>			<b>3.608 He.</b>	<b>0.213 He.</b>		

[F. No. WCR-BPL 0 GSU (GSMS)/03/2026/291]

ANUPAM AWASTHI, Chief Project Manager/Gati Shakti